**संख्या-71/2026/आई/1282327/2026/001-23-14002(002)/13/2025-7**

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-14** **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के 50 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक- 19258/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 02.02.2026, पत्रांक- 19330/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 04.02.2026, पत्रांक- 19548/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 16.02.2026, पत्रांक- 19599/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 19.02.2026, पत्रांक- 19643/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 23.02.2026, पत्रांक- 19852/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 06.03.2026, पत्रांक- 20027/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 14.03.2026, पत्रांक- 20098/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 16.03.2026, पत्रांक- 20141/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 18.03.2026, पत्रांक- 20181/CE-HQ1/CHINIMILL/ALI/2025-26, दिनांक 18.03.2026, पत्रांक- 20182/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 20.03.2026 एवं पत्रांक- 20298/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2025-26, दिनांक 20.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 438.75 लाख (रूपये चार करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र0 स0 | जनपद/ खण्ड का नाम | कार्य का नाम | स्वीकृत/ प्रावैधिक लागते | बचत | बचत उपरान्त की लागत | अनुरक्षण की लागत | अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि | अब तक आवंटन | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | नि.ख.-1 खीरी | कहारनपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1(870) का पुनर्निर्माण का कार्य। | 47.80<br>43.08 | 9.23 | 33.85 | 3.05 | 30.80 | 15.48 | 15.32 |
| 2 | प्रा.ख. खीरी | ग्राम सभा सौखिया में नहर पुलिया से छत्तीपुर राजा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 18.70<br>17.39 | 2.58 | 14.81 | 1.26 | 13.55 | 10.51 | 3.04 |
| 3 | प्रा.ख. खीरी | सकतापुर से सिकटिहा सम्पर्क मार्ग | 268.95 | 63.27 | 205.68 | 18.37 | 187.31 | 168.99 | 11.32 |
| 4 | प्रा.ख. खीरी | पसगवां मोहम्मदी मार्ग से कंधरापुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 16.51<br>15.53 | 2.54 | 12.99 | 1.12 | 11.87 | 9.01 | 2.86 |
| 5 | नि.ख.-3 खीरी | संपूर्णानगर रोड से पूरनपुरवा | 61.07 | 8.87 | 52.20 | 3.96 | 48.24 | 5.22 | 35.02 |
| 6 | नि.ख.-3 खीरी | ज्ञानपुर से पड़रिया मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 84.07<br>78.91 | 17.72 | 61.19 | 5.12 | 56.07 | 45.84 | 10.23 |
| 7 | नि.ख.-3 खीरी | बसन्तापुर खुर्द सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 15.48<br>14.27 | 0.03 | 14.24 | 1.05 | 13.19 | 13.15 | 0.04 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | नि.ख.-3 खीरी | खैरहना-बिजौरिया सम्पर्क मार्गके पुर्ननिर्माण का कार्य। | 12.77<br>11.95 | 0.53 | 11.42 | 0.78 | 10.64 | 7.13 | 3.51 |
| 9 | नि.ख.-3 खीरी | नझौटा बस स्टैण्ड से टन्नपुर सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 59.85<br>53.98 | 9.63 | 44.35 | 4.05 | 40.30 | 15.60 | 24.70 |
| 10 | नि.ख.-3 खीरी | पी0डब्लू0डी0 रोड से बर्वी फार्म के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 53.92<br>49.11 | 4.38 | 44.73 | 3.65 | 41.08 | 25.54 | 15.54 |
| 11 | नि.ख.-3 खीरी | बिजौरिया सैदापुरवा मार्ग से बबौरा मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 26.63<br>24.53 | 2.40 | 22.13 | 1.80 | 20.33 | 15.27 | 5.06 |
| 12 | प्रा0ख0 खीरी | सकतापुर से सिकटिहा | 21.34 | 4.87 | 16.47 | 1.44 | 15.03 | 6.57 | 8.46 |
| 13 | प्रा0ख0 खीरी | बांसगांव रेस्ट पोर्सन सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 30.46<br>28.41 | 3.83 | 24.58 | 2.06 | 22.52 | 0.10 | 12.42 |
| 14 | नि.ख.-3 खीरी | अम्बेडकर ग्राम छिदियापश्चिम (चन्दनचौकी) | 87.33 | 9.71 | 77.62 | 5.77 | 71.85 | 60.90 | 10.95 |
| 15 | नि.ख.-3 खीरी | पलिया दुधवा रोड से उप खाद गोदाम मकनपुर हवाई पट्टी द्वितीय भाग | 415.57<br>410.48 | 114.71 | 295.77 | 26.31 | 269.46 | 218.46 | 30.00 |
| 16 | नि.ख.-3 खीरी | डिगनियां चन्दनचैकी मार्ग से ढकिया मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 89.93<br>82.52 | 17.87 | 64.65 | 5.94 | 58.71 | 55.82 | 2.89 |
| 17 | नि.ख.-3 खीरी | डिगनिया चन्दनचैकी से खम्भा मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 87.38<br>82.24 | 15.27 | 66.97 | 4.59 | 62.38 | 50.87 | 11.51 |
| 18 | प्रा.ख. खीरी | गुठुनाबुजुर्ग सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 61.26<br>57.37 | 11.22 | 46.15 | 4.15 | 42.00 | 31.66 | 10.34 |
| 19 | प्रा.ख. खीरी | मथना सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 36.21<br>33.85 | 4.91 | 28.94 | 2.15 | 26.79 | 20.44 | 6.35 |
| 20 | प्रा.ख. खीरी | लखीमपुर क्रय केन्द्र से ढकवा सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 45.44<br>42.43 | 0.78 | 41.65 | 3.08 | 38.57 | 31.03 | 7.54 |
| 21 | प्रा.ख. खीरी | आधारपुर से उजारगूम सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 22.59<br>21.13 | 2.11 | 19.02 | 1.53 | 17.49 | 13.70 | 3.79 |
| 22 | प्रा.ख. खीरी | जमुनहा मार्ग से सौठन सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 35.39<br>33.21 | 4.50 | 28.71 | 2.40 | 26.31 | 20.27 | 6.04 |
| 23 | प्रा.ख. खीरी | लखीमपुर बहेरा सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 35.77<br>33.49 | 5.55 | 27.94 | 2.42 | 25.52 | 19.54 | 5.98 |
| 24 | प्रा.ख. खीरी | गोला लखीमपुर मार्ग से दुखड़ा बरखेरा सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 48.86<br>45.44 | 4.12 | 41.32 | 3.31 | 38.01 | 30.08 | 7.93 |
| 25 | प्रा.ख. खीरी | गोला लखीमपुर से देवकली सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 51.66<br>47.79 | 9.25 | 38.54 | 3.49 | 35.05 | 26.91 | 8.14 |
| 26 | प्रा.ख. खीरी | फरधान बाजार से नरदवल सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 29.22<br>27.34 | 3.93 | 23.41 | 1.98 | 21.43 | 4.24 | 17.19 |
| 27 | प्रा.ख. खीरी | देवकली मार्ग से मथना सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 13.58<br>12.69 | 1.69 | 11.00 | 0.92 | 10.08 | 7.82 | 2.26 |
| 28 | प्रा.ख. खीरी | देवकली मार्ग से प्राथमिक विघलय सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 45.04<br>42.12 | 8.20 | 33.92 | 3.04 | 30.88 | 23.33 | 7.55 |
| 29 | प्रा.ख. खीरी | अलीगंज मार्ग से सैदापुर देवकली सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 19.66<br>18.38 | 2.63 | 15.75 | 1.33 | 14.42 | 11.13 | 3.29 |
| 30 | प्रा.ख. खीरी | एलआरपी मार्ग से मोहनपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 45.02<br>42.12 | 8.15 | 33.97 | 3.05 | 30.92 | 23.36 | 7.56 |
| 31 | प्रा.ख. खीरी | लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से बम्हनियारपुर सम्पर्क मार्गका पुनर्निर्माण का कार्य। | 45.04<br>42.12 | 0.82 | 41.30 | 3.04 | 38.26 | 30.63 | 7.63 |
| 32 | प्रा.ख. खीरी | गोला लखीमपुर मार्ग से पुरैना सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 28.60<br>26.65 | 3.71 | 22.94 | 1.94 | 21.00 | 16.31 | 4.69 |
| 33 | प्रा.ख. खीरी | मिदनिया रोड से शिवालापुरवा सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 40.61<br>37.96 | 7.23 | 30.73 | 2.75 | 27.98 | 21.20 | 6.78 |
| 34 | प्रा.ख. खीरी | गोला लखीमपुर मार्ग से धौरहरा सम्पर्क मार्ग | 51.94 | 8.50 | 39.50 | 3.52 | 35.98 | 30.40 | 5.58 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 48.00 | | | | | | |
| 35 | प्रा.ख. खीरी | देवकली कस्ता क्रय केन्द्र से द्वितीय भाग सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 37.69<br>35.28 | 4.65 | 30.63 | 2.55 | 28.08 | 21.73 | 6.35 |
| 36 | प्रा.ख. खीरी | गढरूआ पक्के मार्ग से बकैनिया तक सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 36.90<br>34.45 | 4.68 | 29.77 | 2.50 | 27.27 | 21.15 | 6.12 |
| 37 | नि.ख.-3 खीरी | गदनिया पढुआ सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 59.89<br>55.48 | 11.03 | 44.45 | 3.27 | 41.18 | 37.12 | 3.00 |
| 38 | नि.ख.-3 खीरी | हवाईपट्टी रोड से चम्बरबोझ मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 48.42<br>47.23 | 8.98 | 38.25 | 2.73 | 35.52 | 32.02 | 2.00 |
| 39 | प्रा.ख. खीरी | लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से मेहदी सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 25.44<br>23.58 | 2.73 | 20.85 | 1.72 | 19.13 | 15.08 | 4.05 |
| 40 | प्रा.ख. खीरी | पीडब्लूरोड से मनिकापुर सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 23.28<br>19.49 | 2.63 | 16.86 | 1.58 | 15.28 | 13.67 | 1.61 |
| 41 | प्रा.ख. खीरी | देवकली मार्ग से कस्ता रोड प्र0 2,3 एवं 4 सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 175.91<br>166.00 | 34.78 | 131.22 | 12.01 | 119.21 | 107.30 | 11.91 |
| 42 | प्रा.ख. कासगंज | किसरौली चकेरी प्र0भाग | 161.67<br>161.32 | 4.15 | 157.17 | 8.78 | 148.39 | 100.45 | 47.94 |
| 43 | प्रा.ख. खीरी | धौरहरा धाट से देदवाघाट सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 26.13<br>24.11 | 3.01 | 21.10 | 1.77 | 19.33 | 15.28 | 4.05 |
| 44 | प्रा.ख. खीरी | लखीमपुर गोला मार्ग से सकतापुर सम्पर्क मार्ग पर पुर्ननिर्माण का कार्य | 27.96<br>26.16 | 3.19 | 22.97 | 1.89 | 21.08 | 16.38 | 4.70 |
| 45 | प्रा.ख. खीरी | पीडब्लूडी मार्ग से परसेहरा सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य। | 13.48<br>12.61 | 1.16 | 11.45 | 0.91 | 10.54 | 8.28 | 2.26 |
| 46 | नि.ख.-3 खीरी | त्रिकोलिया क्रयकेन्द्र से गुलरीपुरवा अवशेष भाग | 108.79 | 20.37 | 88.42 | 5.30 | 83.12 | 82.42 | 0.70 |
| 47 | नि.ख.-3 खीरी | बोझवा से पतवारा | 90.88 | 21.11 | 69.77 | 4.42 | 65.35 | 63.62 | 1.65 |
| 48 | नि.ख.-3 खीरी | पतवारा से दरापुरवा सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 23.96 | 1.53 | 22.43 | 0.57 | 21.86 | 19.55 | 2.31 |
| 49 | नि.ख.-3 खीरी | पलिया खुर्द बड़ा गांव सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य। | 37.66<br>34.70 | 0.18 | 34.52 | 2.55 | 31.97 | 31.38 | 0.59 |
| 50 | प्रा.ख. खीरी | पी0डब्लू0डी0 मार्ग से रामपुर मदारी सम्पर्क मार्ग के पुनर्निमाण का कार्य | 75.22 | 16.75 | 58.47 | 5.09 | 53.38 | 35.07 | 18.00 |
| | | | **योग** | | | | | | **438.75** |

**<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>**

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,38,75,000 (रुपये चार करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण / नवनिर्माण /पुनर्निर्माण कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शरद सक्सेना
संयुक्त सचिव।

**<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शरद सक्सेना
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।